A 8/1

…य न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

…तीन अधिकारी— श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
63 / प्रा.पत्र / 2017	08.02.2017	29.09.2021

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी। —प्रार्थी

—बनाम—

1. श्री शंकर लाल जैन पुत्र श्री बंशी लाल जैन, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स रामेश्वर किराना स्टोर, सब्जीमण्डी वाली गली, तालेडा, जिला बून्दी। निवासी—हॉट गली सब्जीमण्डी, तालेडा, जिला बून्दी।
2. श्री विशन दास दौलतानी पुत्र श्री नानकराम दौलतानी, मालिक मैसर्स जय गुरूनानक एजेन्सी युको बैंक के सामने, बून्दी—323001। निवासी—1 ई 19, जवाहर नगर, नैंनवा रोड, बून्दी।
3. श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्री, एफ—37ए, रोड नं. 2, वी0के0आई0 जयपुर। निवासी—6 / 169, विधाधर नगर, जयपुर, राजस्थान—302039।
4. श्री अरशद नईम नाजरी पुत्र श्री नईम अहमद नाजरी, नौमिनी मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 12—15, सेक्टर—7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)। निवासी—प्लॉट नं. 3 बी—2, मैरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश।
5. मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 12—15, सेक्टर—7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा)। —अप्रार्थीगण

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से—श्री सतीश कुमार एड0

—: निर्णय :—

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैः—

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A8/2

अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षैत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र मेरे कार्य क्षैत्र में आते है।

2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.05.2016 को समय 04:00 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु हाट गली, तालेडा, स्थित फर्म रामेश्वर किराना स्टोर पर पहुंचा। वहां पर श्री शंकर लाल जैन पुत्र श्री बंशी लाल जैन, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा, प्लास्टिक बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 के 20 नग में उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, प्लास्टिक बोटल पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 750 एम0एल0) वास्ते जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 480/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा के 4 नगों को प्लास्टिक बोटल पैकिंग सहित ही चार बराबर भागों (प्रत्येक भाग में एक) में विभाजित किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–932 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डॉ सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–932 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।

5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में श्री गोपाल लाल, वार्ड ब्वाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के साथ श्रीमान खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर श्री गोपाल लाल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी के साथ श्रीमान खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग

A-3/3

सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र कमांक एफएसएसए/2016/455–456 दिनांक 22.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1747/एक्ट/2016/2716 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा, मिसब्राण्ड (Misbranded) पाया गया।

7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा, प्लास्टिक बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0, मैसर्स रामेश्वर किराना स्टोर तालेडा द्वज्ञारा मैसर्स जय गुरू नानक एजेन्सी देवली रोड बून्दी से बिल संख्या 8758 दिनांक 14.04.2016 द्वारा क्रय करना बताया एवं खरीद बिल की स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। मैसर्स जय गुरू नानक एजेन्सी देवली रोड बून्दी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के मालिक श्री विशन दास दौलतानी पुत्र श्री नानकराम दौलतानी, मालिक मैसर्स जय गुरू नानक एजेन्सी देवली रोड बून्दी को भी पक्षकार बनाया गया हैं। मैसर्स जय गुरू नानक एजेन्सी देवली रोड बून्दी ने उक्त खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्री, एफ–37ए, रोड नं. 2, वी0के0आई0 जयपुर से बिल संख्या जे0ए0आई0सी0एफ0/पी0एस0आई0/1516/3276 दिनांक 30.03.2016 द्वारा क्रय करना बताया हैं एवं खरीद बिल की प्रतिलिपी पेश की हैं। मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्री, एफ–37ए, रोड नं. 2, वी0के0आई0 जयपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल निवासी–6/169, विधाधर नगर, जयपुर, राजस्थान–302039 हैं। अतः इस प्रकरण में श्री किशनगोपाल खण्डेलवाल प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्री, एफ–37ए, रोड नं. 2, वी0के0आई0 जयपुर को भी पक्षकार बनाया गया हैं। मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्री, एफ–37ए, रोड नं. 2, वी0के0आई0 जयपुर ने उक्त खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा, प्लास्टिक बोटल पैकिंग प्रत्येक 750 एम0एल0 मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 15, सेक्टर–7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) से बिल/ट्रांसफर संख्या एम0एस0आर0/पी0टी0एस0/1516/03297 दिनांक 29.03.2016 द्वारा क्रय करना बताया हैं एवं खरीद बिल की प्रतिलिपी पेश की हैं। मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 12–15, सेक्टर–7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) प्राधिकृत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म के नौमिनी श्री अरशद नईम नाजरी पुत्र श्री नईम अहमद नाजरी, निवासी–प्लॉट नं. 3, बी–2, मैरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश हैं। अतः इस प्रकरण में श्री अरशद नईम नाजरी, नौमिनी मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 12–15, सेक्टर–7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) एवं फर्म को अन्तिम पक्षकार बनाया गया हैं तथा इस प्रकरण में फर्म मैसर्स हमदर्द लेबोरेट्रीज (इण्डिया), प्लॉट नं. 12–15, सेक्टर–7, आई0एम0टी0 मानेसर, गुडगांव (हरियाणा) ही विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता फर्म हैं।

8. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A8/4

...न कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/59 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड--रूहअफजा, प्लास्टिक बोटल पैकिंगग प्रत्येक 750 एम0एल0 का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में शरबत, ब्राण्ड--रूहअफजा किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) के अंतर्गत नहीं आता हैं एवं संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 52 के अंतर्गत दी गई प्रश्नगत स्वीकृति विधि विरूद्ध तथा बिना सोचे विचारे एवं बिना शिकायत एवं समस्त संबंधित दस्तावेजों एवं प्रावधानों के समुचित अवलोकन किये बिना प्रदान की गई हैं, ऐसी सूरत में प्रश्नगत स्वीकृति के आधार पर परिवाद निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नोटिस विरूद्ध जवाबकर्ता न्यायहित में निरस्त होने योग्य हैं। सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) के अंतर्गत नहीं आता हैं और संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 52 के अंतर्गत दी गई स्वीकृति विधि विरूद्ध हैं तथा बिना सोचे विचारे एवं बिना शिकायत के नोटिस जारी करवाने की स्वीकृति दी गई हैं। ऐसी सूरत में प्रश्नगत स्वीकृति के आधार पर परिवाद दर्ज किया जाकर प्रश्नगत नोटिस विरूद्ध जवाबकर्ता न्यायहित में निरस्त होने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 जांच हेतु लिये गये नमूने शरबत, ब्राण्ड--रूहअफजा के विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता नहीं हैं, मात्र उक्त शरबत के डिस्ट्रीब्युटर होने के कारण उक्त शरबत के जांच में मिसब्राण्ड पाये जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व अप्रार्थी संख्या 5 व नौमिनी अप्रार्थी संख्या 4 पर जाता हैं। सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 जवाब प्रस्तुत नहीं कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब को ही जवाब समझा जाने हेतु निवेदन किया एवं अधिवक्ता द्वारा सीधे ही बहस करना चाहा।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीगण अपने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड--रूहअफजा का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा दोराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में शरबत, ब्राण्ड--रूहअफजा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A85

कार से मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) के अंतर्गत नहीं आता हैं एवं संबंधित अभिहित द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 52 के अंतर्गत दी नगत स्वीकृति विधि विरूद्ध तथा बिना सोचे विचारे एवं बिना शिकायत एवं समस्त धित दस्तावेजों एवं प्रावधानों के समुचित अवलोकन किये बिना प्रदान की गई हैं, ऐसी सूरत में प्रश्नगत स्वीकृति के आधार पर परिवाद निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नोटिस विरूद्ध जवाबकर्ता न्यायहित में निरस्त होने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रस्तुत प्रकरण किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) के अंतर्गत नहीं आता हैं और संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 व 52 के अंतर्गत दी गई स्वीकृति विधि विरूद्ध हैं तथा बिना सोचे विचारे एवं बिना शिकायत के नोटिस जारी करवाने की स्वीकृति दी गई हैं। ऐसी सूरत में प्रश्नगत स्वीकृति के आधार पर परिवाद दर्ज किया जाकर प्रश्नगत नोटिस विरूद्ध जवाबकर्ता न्यायहित में निरस्त होने योग्य हैं। अप्रार्थी संख्या 2 जांच हेतु लिये गये नमूने शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा के विनिर्माता एवं पैकिंगकर्ता नहीं हैं, मात्र उक्त शरबत के डिस्ट्रीब्युटर होने के कारण उक्त शरबत के जांच में मिसब्राण्ड पाये जाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व अप्रार्थी संख्या 5 व नौमिनी अप्रार्थी संख्या 4 पर जाता हैं। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा खाद्य विश्लेषक, जयपुर की जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड घोषित किया गया है। अप्रार्थीगण ने अपने प्रतिष्ठान पर मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ शरबत, ब्राण्ड–रूहअफजा का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से दोषी है। अतः अप्रार्थीगण का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 2 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 3 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये), अप्रार्थी संख्या 4 को 5,000/– (अक्षरे–पांच हजार रूपये) एव अप्रार्थी संख्या 5 को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) कुल राशि 30,000/– (अक्षरे–तीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)